

05 निविदा
15/10/18

फर्द अहकाम

(नियम 13)

अज अदालत तहसीलदार / नायब तहसीलदार सिणधरी तहसील सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

बनाम



श्री. लो. शा. राम

हलका... कम. 61 ई

पुत्र श्री. रा. व. तारा. राम जाति. जाट

निवासी - घाने की टोली

किस्म मुकदमा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 मु. नं. 25... वर्ष 2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाहीमय इनिशियलस जज	हुकम और तारीख तामिल की
29/8/18	पटवारी हलका... कम. 61 ई... ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् 2075 में मौजा घाने की टोली के खसरा नंबर 227 रकबा 0.06 बी. किस्म भूमि के मु. रा. पर नाजायज अतिक्रमण कर काश्त व कब्जा किया है, अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 17/09/18 को बमुकाम सिणधरी में पेश हों। नायब तहसीलदार सिणधरी	
17/9/18	पत्रावली प्राप्त पेश हुई। और सायल उपस्थित और सायल को 15 दिन के भीतर महसुस करने के लिए और सायल के लीकार किया भाई-सा पत्रावली दिनांक 01/10/18 को पेश है। नायब तहसीलदार सिणधरी	 नि. शा. राम

Rcms
2018/00021 निविदा
15/10/18

1.10.18

पञ्चवली राज प्रस्तुत हुई। मंत्रालय
कारियों की हडताल के पञ्चवली शायदा
दिनांक 15/10/18 को प्रस्तुत है।

नायब तहसीलदार
सिणधरी

15.10.18

पञ्चवली प्रस्तुत हुई। गैर शायल अनुपस्थित
तीन कर इकाय लगाने के वाक्यूम की गैर -
शायल या उसका प्रतिनिधि (वकील) उपस्थित
नहीं। गैर शायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र
में भूदा पुकरणों बताया जाता बताया गया
है। पञ्चवली रिपोर्ट अनुसार अतिरिक्त होना
स्थिति है। पञ्चवली हक्का उपस्थित रिकर्ड
बताया गया एवं अतिरिक्त होने की पञ्चवली
हक्का द्वारा पुष्टि की गई। श्री जोगायम को
अतिरिक्त घोषित किया जाता है। निरीक्षण
हक्का व पञ्चवली हक्का अतिरिक्त दायमा
जाकर राजस्व रिकर्ड की स्थिति बहाल
करे। निर्णय अलग से लिखा जाकर प्रस्तुत
है।

नायब तहसीलदार
सिणधरी

पटवारी कमगई

वर्ष 2018-19 के राजस्व लेखा पंजिका सं. 4 के
पृष्ठ सं. 9 पर क्र.सं. 2 पर जुमाना/फसल
निलामी राशि रु. 50/- की मांग दर्ज की गई।

23.10.18
तहसील राजस्व लेखाकार
तहसील सिणधरी